

ई-किसान उपज नधि

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने तथा उनकी उपज हेतु उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दशा में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिये **भांडागारण विकास और नियामक प्राधिकरण** की 'ई-किसान उपज नधि' (डिजिटल गेटवे) लॉन्च किया।

- 'ई-किसान उपज नधि' प्लेटफॉर्म डिजिटल प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे किसानों को अपनी उपज को किसी भी पंजीकृत WDRA गोदाम में **छह महीने तक 7% प्रतियुक्त ब्याज पर संग्रहीत** करने की अनुमति मिलती है।
 - बना किसी संपत्ति को गरिबी रखे, अतिरिक्त सुरक्षा जमा नीति की विशेषता वाली इस पहल का उद्देश्य किसानों द्वारा संकट के समय में उनकी उपज जिन्हें फसल के बाद भंडारण की अच्छी रखरखाव सुविधाओं के न होने के कारण प्रायः अपनी पूरी फसल को सस्ती दरों पर बेचना पड़ता था, की बिक्री को रोकना और फसल के बाद बेहतर भंडारण के अवसरों को संकषम करना है।
- मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ई-किसान उपज नधि और ई-एनएएम का एकीकरण किसानों को परस्पर संबद्ध बाजारों का लाभ उठाने में संकषम बनाता है, जिससे **सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक लाभ** मिलता है।
- WDRA की स्थापना अक्टूबर 2010 में **भांडागारण (विकास एवं वनियमन) अधिनियम, 2007** के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य गोदामों को विकसित और वनियमित करना, गोदाम रसीदों की प्रक्राम्यता को बढ़ावा देना एवं भारत में **भंडारण व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाना** था।
 - WDRA खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक **वैधानिक प्राधिकरण** के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

और पढ़ें: [न्यूनतम समर्थन मूल्य](#)